मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

भोपाल दिनांक 06/08/13

क्रमांक / बी-2-1 / वाहन विक्रय / 13-14 / 227

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय

सागर / रीवा / जबलपुर / उज्जैन / ग्वालियर

इंदौर / भोपाल

विषय :- आंचलिक कार्यालयों की वाहनों के विक्रय एवं किराये की वाहन लेने बाबत्।

संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र क / बी-2-1 / वाहन विक्रय / 12-13 दिनांक 25.05.12

--00--

संदर्भित पत्र द्वारा आंचलिक कार्यालय की जिन वाहनों द्वारा विक्रय की निर्धारित दूरी पूर्ण कर ली गई थी। के विक्रय कार्यवाही संदर्भित पत्र में उल्लेखित गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 17 / 10 / 78(2) दिनांक सा.प्र.वि. ज्ञापन क / 1449 / 4627 / 1 / 4 / 78 दिनांक 28.02.79(3) सा.प्र.वि. ज्ञापन क / 2244 / 2628 / 1 / 4 / 79 दिनांक 30.05.80 का अनुसरण कर वाहनों के विक्रय के निर्देश दिये गये थे।

उपरोक्त संबंध अवगत होवे की आंचलिक कार्यालयों के जिन वाहनों द्वारा विक्रय की निर्धारित दूरी पूर्ण कर ली गयी है। का विक्रय कर म0प्र0 शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 11-16 / 2012 / नियम / चार भोपाल दिनांक 06 अक्टूबर 2012 अनुसार आवश्यकता अनुरूप गर किराये की वाहन लेकर मुख्यालय को सूचित करे।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

6-8-13

संयुक्त संचालक(वाहन)

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल, दिनांक 06/08/13

-1 / 13-14 / 228

-- / जबलपुर / उज्जैन / ग्वालियर इंदौर /

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-16/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।

विषय- विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिए जाने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

संदर्भ- वित्त विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमाक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26-10-2007

--•••--

शासकीय कार्यों के संदर्भ में विभिन्न विभागों / कार्यालयों द्वारा विभाग में वाहनों की कमी के चलते, मासिक आधार पर, वाहन किराये पर ली जाती हैं । मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु शासकीय धन के उचित उपयोग एवं एकरूपता की दृष्टि से संदर्भित निर्देश प्रसारित किए गये हैं । शासन के ध्यान में आया है कि शासकीय कार्य हेतु निजी वाहन किराये पर लिए जाने पर विभिन्न कार्यालयों/विभागों द्वारा अलग- अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है ।

2/ अतः वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार, दिनांक 24-6-2006 एवं परिपत्र क्रमाक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26-10-2007 को निरस्त करते हुये शासकीय कार्यों के सन्दर्भ में विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्न लिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

(1) वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति पूर्वानुसार वित्त विभाग द्वारा दी जावेगी । वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी ।

(2) वाहन किराये पर लेने हेतु मासिक दरें नियमानुसार, सेवाकर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मों/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित कर निर्धारित की जानी चाहिए । [illegible] सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित

संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है । किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ही ऑफर्स प्राप्त किये जाने चाहिये ।

(3) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड वाहन ही किराये पर लिए जाए।

(4) जिन अधिकारियों हेतु वाहन किराये पर लिये जा रहे हैं उन अधिकारियों के मूल पद के ग्रेड पे के आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं :-

(i).₹ 5400 एवं ₹ 6600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 3.5 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।

(ii).₹ 7600 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 4.25 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।

(iii).₹ 8700 एवं ₹ 8900 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 6.50 लाख (Ex-show room price) तक होगी।

(iv).₹ 10,000 ग्रेड पे पाने वाले एवं ₹ 67,000-79,000 उच्च स्तरीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के लिये वाहन की अधिकतम लागत सीमा ₹ 7.50 लाख (Ex-show room price) तक होगी ।

(5) मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिए जाने हेतु मुख्यालय पर अधिकतम 1000 किलोमीटर की सीमा को आधार माना जाए । इस हेतु प्रतिदिन किराये के वाहन की उपलब्धता हेतु समय भी निर्धारित किया जा सकता है, जो 12 घंटे से अधिक न हो । वाहन किराये के फिक्स्ड चार्जेज निर्धारित किए जाना चाहिए ।

(6) किराये पर वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण में मुख्यालय पर भ्रमण हेतु फिक्स्ड चार्ज तथा मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु वेरिएवल चार्ज (variable charge per km. charge) पृथक- पृथक प्राप्त करना चाहिए ।

(7) सामान्यतः शासकीय कार्य से यात्रा करने पर लोक-वाहक से ही यात्रा की जाना चाहिये परंतु अपरिहार्य स्थिति में किराये की गाड़ी का उपयोग करने की स्थिति में इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी से होना अनिवार्य होगा । इस हेतु नियंत्रण अधिकारी को कारण सहित किराये की गाड़ी से मुख्यालय के बाहर यात्रा करने के आदेश जारी करने होंगे । ऐसी स्थिति में कंडिका 6 में दर्शाये अनुसार वेरियबल चार्ज अनुसार भुगतान किया जा सकेगा ।

प्राप्त निविदाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन (analysis and evaluation)

मुख्यालय के बाहर की यात्राओं हेतु अनुमानित निर्धारित औसत दूरी आदि कारकों (Factors) के आधार पर किया जाये एवं तदनुसार सफल निविदाकारों को क्रमबद्ध किया जाए ताकि वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु उपयुक्त एवं सही दरें निर्धारित हो सकें ।

(9) उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन कर उत्तरकारी निविदाओं (responsive tenders) को क्रम बद्ध कर संविदा प्रदाय हेतु सफल निविदाकार का चयन किया जाय ।

(10) संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (Monitoring) भी विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जाये ।

(11) यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा । इस आदेश के जारी होने के पूर्व तत्समय जारी निर्देशों/शर्तों के अनुसार कार्यालयों द्वारा किराये पर लिये गये वाहनों के संबंध में पूर्व निर्देश/शर्तें ही संविदा अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगीं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग